

ORDER-SHEET [Contd.]

न्यायालय : अति.प्रधान न्यायाधीश, कूटुम्ब न्यायालय, उज्जैन (म0प्र0)

पीठासीन अधिकारी – श्री संजीव कुमार गुप्ता

श्रीमती कविता आदि वि. रणछोड

Reg. No. MJC/29/2022

CNR No. MP1302-001113-2022

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.11.2024	आवेदिका कविता सहित श्री आनंद भारती अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक सहित सुश्री विद्या सुगंधी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत करके व्यक्त किया गया कि अनावेदक अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 239 एस रकवा 0.78 हेक्टेयर स्थित ग्राम कामलीखेडा तहसील तराना जिला उज्जैन को आवेदकगण के भरणपोषण हेतु अंतरित कर रहा है जिस पर आवेदकगण का नामांतरण किया जायेगा। उक्त भूमि का कब्जा अनावेदक द्वारा मौके पर आवेदिका को दिनांक 08.11.24 को सौंप दिया गया है, जिसकी कब्जा रसीद इस राजीनामा आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त भूमि पर अनावेदक के द्वारा मसूर की फसल लगायी गयी है, जिसे अनावेदक काटने और बेचने का अधिकारी होगा। अतः उपरोक्त राजीनामे के आधार पर यह प्रकरण वापस लेने की अनुमति दी जावे। आवेदिका कविता की पहचान श्री आनंद भारती अधिवक्ता द्वारा एवं अनावेदक रणछोड की पहचान सुश्री विद्या सुगंधी अधिवक्ता द्वारा की गयी। उभयपक्ष से पूछने पर उन्होंने राजीनामा आवेदन में वर्णित सभी शर्तों को स्वीकार करते हुये स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय या दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया। आवेदिका कविता शेष अवयस्क आवेदकगण की माता होकर नैसर्गिक संरक्षक है और प्रस्तावित राजीनामा अवयस्क आवेदकगण के हितों के प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है। अतः बाद विचार आवेदन उचित होने से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत भरणपोषण आवेदन अंतर्गत धारा	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	19 हिंदू दत्तक तथा भरणपोषण अधिनियम 1956 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। व्यय तालिका बनायी जाये। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये। (संजीव कुमार गुप्ता) अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन म.प्र.	